

**उत्तराखण्ड शासन**  
**औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1**  
**संख्या- 50 / VII-A-1 / 23-24ख / 2007 टी0सी0**  
**देहरादून: दिनांक 18 जनवरी, 2023**

**अधिसूचना**

निगमों एवं निजी नाप भूमि में उप खनिज की निकासी हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1998/ VII-A-1 / 2018 / 80-ख / 16, दिनांक 14 फरवरी, 2018 द्वारा लागू वर्तमान दर/शुल्क को तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए उक्त दर/शुल्क को निम्नानुसार संशोधित/पुनर्निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| (i). रायल्टी                          |                          |
| (ii). स्टाम्प शुल्क                   | - रायल्टी का 02 प्रतिशत। |
| (iii). जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान | - रायल्टी का 15 प्रतिशत। |
| (iv). क्षतिपूर्ति                     | - रायल्टी का 10 प्रतिशत। |

उक्तानुसार जिला खनिज फाउन्डेशन के अंशदान एवं क्षतिपूर्ति शुल्क की दरों में किये गये संशोधन के अनुरूप राज्यान्तर्गत गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं अन्य नदियों के उपखनिज की बिक्री दरों, आधार मूल्य (कर सहित) एवं अन्य लागू दरों की भिन्नताओं को समाप्त कर समरूपता लाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (गौला, कोसी, दाबका, नन्धौर एवं अन्य नदियों), गढवाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टों एवं समस्त प्रकार की अनुज्ञाओं हेतु निर्धारित भिन्न-भिन्न दरों को निम्नवत पुनर्निर्धारित/संशोधन किये जाने पर भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम (गौला नदी)**

	मद	वर्तमान बिक्री दर (रु०/कुन्तल)	पुनर्निर्धारित/संशोधित बिक्री दर (रु०/कुन्तल)
1	2	3	4
1	राजस्व		
1.1	रायल्टी	8.50	8.50
1.2	स्टाम्प शुल्क (रायल्टी का 02 प्रतिशत)	0.17	0.17
1.3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	2.13	1.27
	<b>उपयोग (t1)</b>	<b>10.80</b>	<b>9.94</b>
2	वन विभाग		
2.1	क्षतिपूरक वनीकरण (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.28	0.85
2.2	सुरक्षा एवं सीमांकन	0.50	0.15
	<b>उपयोग (t2)</b>	<b>1.78</b>	<b>1.00</b>
3	वन निगम		

Policy Related

3.1	तौलाई +RFID = W	0.70	0.075
3.2	लामांश एवं परिचालन व्यय (Operating expenses)	0.85	4.91
	उपयोग (t3)	7.33	
4	योग (t1+t2+t3)	8.18	4.985
4.1	जी0एस0टी0 05 प्रतिशत (4 का 05%)	20.76	15.92
4.2	सकल योग (4+4.1)	1.04	0.80
5.	आयकर @ 2.5 %	21.80	16.72
	योग (4.2 + 5)	0.55	0.42
	योग (4.2 + 5)	22.35	17.14
अन्य निम्न शुल्क:-			
1.	रू0 5.00 प्रति कुन्तल अभिवहन पास शुल्क	5.0	5.0
2.	रू0 130.00 प्रति वाहन/फेरा मार्ग शुल्क लिया जाता है, अर्थात रू0 1.30 प्रति कुन्तल।	1.30	विलोपित
	कुल योग	29.35	22.14

## 2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कोसी/दाबका)

	मद	वर्तमान बिक्री दर (रू0/कुन्तल)	पुर्ननिर्धारित/संशोधित बिक्री दर (रू0/कुन्तल)
1	2	3	4
1	राजस्व		
1.1	रायल्टी	8.00	8.00
1.2	स्टाम्प शुल्क (रायल्टी का 02 प्रतिशत)	0.16	0.16
1.3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	2.00	1.20
	उपयोग (t1)	10.16	9.36
2	वन विभाग		
2.1	क्षतिपूरक वनीकरण (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.20	0.80
2.2	सुरक्षा एवं सीमांकन	0.50	0.15
	उपयोग (t2)	1.70	0.95
3	वन निगम		
3.1	तौलाई +RFID = W	0.70	0.075
3.2	लामांश एवं परिचालन व्यय (Operating expenses)	0.80	4.79
	उपयोग (t3)	7.18	
4	योग (t1+t2+t3)	8.68	4.865
4.1	जी0एस0टी0 05 प्रतिशत (4 का 05%)	20.54	15.17
4.2	सकल योग (4+4.1)	1.03	0.76
	सकल योग (4+4.1)	21.57	15.93

Policy Related

5.	आयकर @ 2.5 %	0.51	0.38
योग (4.2 + 5)		22.08	16.31
अन्य निम्न शुल्क लिये जाते हैं:-			
1.	रु० 5.00 प्रति कुन्तल अभिवहन पास शुल्क	5.0	5.0
2.	रु० 130.00 प्रति वाहन/फेरा मार्ग शुल्क लिया जाता है, अर्थात् रु० 1.30 प्रति कुन्तल।	1.30	विलोपित
कुल योग		28.38	21.31

### 3. उत्तराखण्ड वन विकास निगम (नन्धौर व अन्य नदियां)

	मद	वर्तमान बिक्री दर (रु०/कुन्तल)	पुनर्निर्धारित/संशोधित बिक्री दर (रु०/कुन्तल)
1	2	3	4
1	राजस्व		
1.1	रायल्टी	7.00	7.00
1.2	स्टाम्प शुल्क (रायल्टी का 02 प्रतिशत)	0.14	0.14
1.3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	1.75	1.05
उपयोग (t1)		8.89	8.19
2	वन विभाग		
2.1	क्षतिपूरक वनीकरण (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.05	0.70
2.2	सुरक्षा एवं सीमांकन	0.50	0.15
उपयोग (t2)		1.55	0.85
3	वन निगम		
3.1	तौलाई +RFID = W	0.70	0.075
3.2	लामांश एवं परिचालन व्यय (Operating expenses)	0.70	4.49
उपयोग (t3)		8.19	4.56
4	योग (t1+t2+t3)	18.63	13.60
4.1	जी०एस०टी० 05 प्रतिशत (4 का 05%)	0.90	0.68
4.2	सकल योग (4+4.1)	19.53	14.28
5.	आयकर @ 2.5 %	0.47	0.36
योग (4.2 + 5)		20.00	14.64
अन्य निम्न शुल्क लिये जाते हैं:-			
1.	रु० 5.00 प्रति कुन्तल अभिवहन पास शुल्क	5.0	5.0
2.	रु० 130.00 प्रति वाहन/फेरा मार्ग शुल्क लिया जाता है, अर्थात् रु० 1.30 प्रति कुन्तल।	1.30	विलोपित
कुल योग		26.30	19.64



## 4. गढ़वाल मण्डल विकास निगम

क्र०सं०	मद	उपखनिज के आधार मूल्य की वर्तमान दर (प्रति कुन्तल)	पुर्ननिर्धारित/संशोधित आधार मूल्य की दर (रु०/कुन्तल)
1	2	3	5
1	रायल्टी	7.0	7.0
2	क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.05	0.70
3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	1.75	1.05
4	निगम के साथ स्टाम्प ड्यूटी (रायल्टी का 2 प्रतिशत)	0.14	0.14
योग		9.94	8.89
5	संचालन व्यय	5.60	5.33
6	लामांश (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	0.70	0.70
7	आधार मूल्य	16.24	14.92
8	एम०ओ०यू० संचालक के साथ स्टाम्प ड्यूटी (रायल्टी का 2 प्रतिशत)	0.33	0.14
योग		16.57	15.06
9	अतिरिक्त वृद्धि	0.03	विलोपित
10	आधार मूल्य (कर सहित)	16.60	15.06
11	सी०जी०एस०टी० 9 प्रतिशत	1.49	0.63
12	एस०जी०एस०टी० 9 प्रतिशत	1.49	0.63
13	आयकर @ 2 %	0.33	0.30
कुल आधार मूल्य (कर सहित)		19.92	16.62

## 5. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम

क्र०सं०	मद	उपखनिज के आधार मूल्य की वर्तमान दर (प्रति कुन्तल)	पुर्ननिर्धारित/संशोधित आधार मूल्य की दर (रु०/कुन्तल)
1	2	4	5
1	रायल्टी	7.0	7.0
2	क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.05	0.70

Policy Related


3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	1.75	1.05
4	निगम के साथ स्टाम्प ड्यूटी (रायल्टी का 2 प्रतिशत)	0.14	0.14
योग		9.94	8.89
5	संचालन व्यय	6.57	5.33
6	लामांश (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	0.70	0.70
7	आधार मूल्य	17.15	14.92
8	एम0ओ0यू0 संचालक के साथ स्टाम्प ड्यूटी (रायल्टी का 2 प्रतिशत)	0.14	0.14
योग		17.29	15.06
9	आधार मूल्य (कर सहित)	17.29	15.06
10	सी0जी0एस0टी0 9 प्रतिशत	1.56	0.63
11	एस0जी0एस0टी0 9 प्रतिशत	1.56	0.63
12	आयकर @ 2 %	0.35	0.30
कुल आधार मूल्य (कर सहित)		20.76	16.62

6. निजी नाप भूमि में स्वीकृत खनन पट्टा एवं समस्त प्रकार की अनुज्ञायें

क्र0 सं0	मद	वर्तमान में लिये जाने वाली दर/ शुल्क (रु0/कुन्तल)	पुनर्निर्धारित/संशोधित दर/शुल्क (रु0/कुन्तल)
1	2	3	4
1	रायल्टी	7.00	7.00
2	स्टाम्प शुल्क (रायल्टी का 02 प्रतिशत)	0.14	0.14
3	जिला खनन फाउन्डेशन न्यास (रायल्टी का 15 प्रतिशत)	1.75	1.05
5	सीमांकन व्यय	0.15	0.15
6	क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	1.05	0.70
7	भूमिधर को प्रतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)	0.70	0.70
8	तौलाई	0.25	0.075
9	संचालन व्यय (Operating expenses)	1.50	1.50
योग		12.54	11.32

10	सी0जी0एस0टी0 2.5 प्रतिशत	0.31	0.28
11	एस0जी0एस0टी0 2.5 प्रतिशत	0.31	0.28
12	आयकर @ 2 %	0.25	0.23
	योग (कर सहित)	13.41	12.11
13	अतिरिक्त रॉयल्टी (निजी पट्टाधारकों एवं समस्त प्रकार के अनुज्ञाधारकों से ली जाने वाली अतिरिक्त रॉयल्टी धनराशि)	-	7.0
	कुल दर/शुल्क (कर सहित)	13.41	19.11

2. उपरोक्तानुसार पुर्ननिर्धारित/संशोधित किये गये शुल्क/दर के अनुरूप सम्बन्धित संगत नियमावलियों, नीतियों एवं शासनादेशों में तदनुसार यथावश्यक संशोधन/परिमार्जन पृथक से कर लिया जायेगा।

  
 (डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)  
 सचिव